



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1973/चैत्र 24, 1895

No. 148]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1973/CHAITRA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th April 1973

S.O. 222(E)/IDRA/18G/73.—In exercise of the powers conferred by Section 18G and Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order 1967, namely,

- (1) (i) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1973.
- (ii) It shall come into force with effect from the 18th April, 1973
- (2) In clause 8 of the Cement Control Order, 1967,
 - (i) in item (a) for the figures "162.00" the figures "164.00" shall be substituted.
 - (ii) in item (b) for the figures "139" the figures "141" shall be substituted.

[No. 1-14/73-Cem.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल 1973

का० आ० 222(प्र)/आई० डी० आर० ए०/18 जी/73.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 जी तथा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इन मामले में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में अग्रोत्तर संशोधन करने के निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

- 1 (1) यह आदेश सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973 कहलायेगा ।
 (2) यह दिनांक 18 अप्रैल, 1973 से लागू होगा ।
- 2 सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खण्ड 8 में,
 (1) मद(क) में “162.00” संख्या के स्थान पर “164 00” संख्या रखी जायेगी ।
 (2) मद (ख) में “139” संख्या के स्थान पर “141” संख्या रखी जायेगी ।

[सं० 1-14/73-सीमेंट]

डी० के० सक्सेना संयुक्त सचिव ।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1973/चैत्र 26, 1895
No. 149] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1973/CHAITRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April 1973

S.O. 223(E).— In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 638, dated the 10th February, 1969 (as amended from time to time).

[No. F.10(3)-IT/71.]

वाणिज्य मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

का० प्रा० 223 (अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के